

संदर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई./2022/1745

दिनांक:26.05.2022

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र सिंह

सी ओ ऑफिस के बराबर में,

तहसील-गढ़मुक्तेश्वर,

जिला - हापुड़ (उ०प्र०) मोबाइलन. 8755811110

विषय :जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आपके अपील पत्र दिनांक 13.05.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके अपील पत्र दिनांक 13.05.2022जो कि प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त हुआ । अपील पत्र के माध्यम से आपने अपने आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022जो कि पोस्टल ऑर्डर न.56 F 937232 के साथ भेजा है,के अनुसार बिंदुवार जानकारी चाही है। इस अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी के दिशानिर्देशानुसार बिंदुवार जानकारी निम्न है:


बिंदु न.	बिंदु द्वारा मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गई जानकारी
1	यह किग्रेटर नॉएडा हापुड़ 765 के०वी० पारेषण लाइन निर्माण हेतु टावर निर्माण के समय जो कटाव के लिए प्रतिबंधित पेड़ आम, नीम, शीशम, सागोन, खैर आदि पेड़ जो कट चुके हैं जिन्हें काटने की परमिशन वन विभाग से ली गयी है किसानो का नाम पेड़ो की संख्या, उनकी उम्र और खसरा न० सहित सूची प्रदान करें ।	निर्माण के समय कोई भी प्रतिबंधित पेड़ नहीं काटे गये हैं ।
2	यह की अब वर्तमान में कितने प्रतिबंधित पेड़ कटाव के लिए लाइन के निचे और R.O.W के अंतर्गत आते हैं । कृषकों के नाम, पेड़ों की संख्या, उनकी उम्र और खसरा न० सहित सूची प्रदान करें ।	अभी काटने वाले पेड़ों की सूची का आंकलन किया जा रहा है ।

3	यह की कितने पेड़ इपिल पापुलर, युकेल्युप्टस, बकायन आदि के अप्रतिबंधित जो लाइन निर्माण हेतु टावर लगते समय कट चुके हैं या वर्तमान में लाइन के नीचे R.O.W के अंतर्गत आते हैं जिन्हें कटा जायेगा की सूची किसानों के नाम पेड़ों की संख्या उनकी उम्र और खसरा संख्या उनकी उम्र और खसरा न० सहित बताने का कष्ट करें।	जिनका नोटिस कट चूका है उनकी सूची संलग्न है और बचे हुए हिस्से में कटने वाले पेड़ों का आंकलन किया जा रहा है।
4	यह कि प्रतिबंधित पेड़ काटने हेतु जो परमीशन वन विभाग द्वारा दी गयी उसकी प्रतिलिपि प्रदान करें।	सूची का आंकलन किया जा रहा है।
5	यह कि यदि बिना अनुमति प्रतिबंधित पेड़ों को काटने हेतु कोई शासनादेश आपके पास है तो उसकी प्रतिलिपि प्रदान करने का कष्ट करें।	बिना अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा गया है।

जानकारी: भारत का राजपत्र, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (नई दिल्ली) की अधिसूचना दिनांक 20.09.2010 जो कि उद्धृत किया गया है, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे इस वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अतः आप भी उक्त वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

धन्यवाद।

भवदीय


[ए.अहमद]

सी. ई. ओ. एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ
पी.एम.एस.टी.एल, मेरठ

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ



पावरग्रिड

60 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।

नोटिस संख्या : 2451

बुक संख्या :

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

दिनांक : 17/11/21

लाइन / सेक्शन का नाम : 765KV HAPUR GRNODA LHO

सेवा में, नाम : Ikram पिता/पति का नाम : Gufran

गाँव : Ajrada पोस्ट ऑफिस : ब्लॉक / तहसील : Meerut

जिला : Meerut पिन कोड : मोबाइल संख्या :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाइन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

गांव का नाम : Ajrada

लाभार्थी का नाम : Ikram

मंडल/तहसील/सर्कल : Meerut

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

जिला का नाम :

पिता/पति का नाम : Gufran

Meerut

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या :

लाभार्थी की आधार संख्या :

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	B/2 - B/4 LO	Eucalyptus		30-35	1	4		
2.				35-40		4		
3.				40-45		2		
4.				25-30		8		
5.				20-25		4		

अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

20/11/21 Meerut

(हस्ताक्षर मय नाम)

(जायीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

नाम व मोहर

नाम व मोहर

नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड
2452

नोटिस संख्या :

दिनांक : 28/11/19

बुक संख्या : 60

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाइन / सेक्शन का नाम : 765KV HAPUR - GR NOLDA TIL

सेवा में,

नाम : CHAMAN पिता/पति का नाम : JASHIYAT KHAN

गाँव : AJRADA पोस्ट ऑफिस : ब्लॉक/तहसील : MEERUT

जिला : MEERUT पिन कोड : मोबाइल संख्या :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाइन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू. में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

गाँव का नाम : AJRADA

मंडल/तहसील/सर्कल :

जिला का नाम :

MEERUT

MEERUT

संपत्ती का विवरण :

लाभार्थी का नाम : CHAMAN

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

पिता/पति का नाम : JASHIYAT

लाभार्थी की आधार संख्या : 2206 2633572

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या :

फसल का विवरण :

1673

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्रि.	टिप्पणी
	814 L10				

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्रि.	टिप्पणी
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Separate sheet Attached

अभिस्वीकृत

(हस्ताक्षर मय नाम)
(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

आधिकारिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

765 के.व्ही. लिलो हापुड़ - मेरठ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में क्षतिग्रस्त पेड़/ फसल मुआवजा हेतु सम्बंधित पेड़ एवं फसल मालिको का स्वामित्व प्रमाण एवं क्षतिग्र फसलका मुआवजा निर्धारण रिपोर्ट ।

राजस्व गाम/ परगना- अंजराड़ा				तहसील- सदर मेरठ					
क्रम संख्या	फार्म संख्या	फार्म दिनांक	टावर क्रमांक	कार्य का विवरण	पेड़/ फसल मालिक का नाम एवं पता	खसरा न.	पेड़ की प्रजाति	पेड़ की मोटाई जमीन से १ मीटर ऊपर	अन्य विवरण
1	३५५२	२५/११/२१	१०८१५	क्षतिग्रस्त	चामनबांसो वसुधर शर्मा	१६६३	Eucalyptus	१०-१५	Quantity = 12 NOS Quality = २९ NOS
							"	१५-२०	Quantity = 12 NOS
							"	२०-२५	Quantity = 6 NOS
							"	२५-३०	Quantity = 1 NOS
							"	३०-३५	Quantity = 7 NOS
							"	५-१०	Quantity = 11 NOS
							"	१०-१५	Quantity = 4 NOS
							Poplar	१०-२०	Quantity = ०९ NOS
							Eucalyptus	१५-२०	Quantity = ०२ NOS
							"	२०-२५	Quantity = ०२ NOS
							Poplar	२०-३०	Quantity = ०४ NOS
							Eucalyptus	२५-३०	Quantity = ०४ NOS
							Poplar	३०-४०	Quantity = ०३ NOS
							Eucalyptus	३५-४०	Quantity = ०२ NOS
							"	५-१०	Quantity = ०५ NOS

लेखपाल

कानूनगो/ राजस्व निरीक्षक

तहसीलदार

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड
2453

60

बुक संख्या :

नोटिस संख्या :

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

दिनांक : 25/11/21

लाईन / सेक्शन का नाम : JESUV HAPUR - DEMO DATIL

सेवा में, Mohd. Umar पिता/पति का नाम Chuthwa Khan

नाम Aizada Mumt ब्लॉक/तहसील Mumt

गाँव Aizada Mumt पोस्ट ऑफिस मोबाइल संख्या

जिला पिन कोड मोबाइल संख्या

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ

प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा

24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त

उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास

किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्लू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व

प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण : Mohd. Umar गाँव का नाम : Aizada

लाभार्थी का नाम : (मालिक/किराएदार/साझा काश्त) मंडल/तहसील/सर्कल : Mumt

पिता/पति का नाम : Chuthwa Khan जिला का नाम : Mumt

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 1682 लाभार्थी की आधार संख्या :

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
	8/3 to 8/4 L/O				

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Separate sheet Attached.

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत - Mohd

(हस्ताक्षर मय नाम)
(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

प्रतिलिपि : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।

